राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2153/2011/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–प्रथम,भिवाडी — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जयश्री प्रोडक्टस प्रा.लि.
बहरोड, अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के. अजगेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है

निर्णय दिनांक 14.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 94/CST/2009–10/उपा/अपील्स/अलवर मकराना में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–I,भिवाडी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत आरोपित कर रु. 2,01,383/– ब्याज 61,607/– शास्ति रू. 4,450/– को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का सर्वेक्षण किया जाकर उसके द्वारा संधारित क्रय रजिस्ट्रर व प्रपत्र वैट–08 की छायाप्रति एवं बिक्री बिलों का विवरण प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त शांहजहापुर चैकपोस्ट से प्राप्त बिलों का मिलान व्यवहारी द्वारा संधारित क्रय रजिस्टर से करने पर दिनांक 01.4.2006 से 30.06.2006 तक की अवधि में व्यवहारी द्वारा जारी बिल नं. 39 दिनां 01.04.2006 से 30.06.2006 तक की अवधि में व्यवहारी द्वारा जारी बिल नं दिनांक 11.04.2006 का मिलान चैकपोस्ट से प्राप्त बिलों से नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार बिल नं.–40 का मिलान भी प्रपत्र वैट–08 से नहीं हो पाया जिससे जाहिर होता है कि व्यवहारी द्वारा घोषित नियमित बिल बुक के साथ साथ इसके समानान्तर एक अन्य बिल बुक भी संधारित करते हुये प्रयोग में लाई गई। 77 बिलों में से 2 बिलों का मिलान नहीं हो पाया जिनका कुल क्रय 17600 आता है तथा प्रति बिल औसत लगभग 8800/– आता है। व्यवहारी द्वार आलोच्य अवधि में 322 बिल जारी किये गये, अंतिग बिल 275 दिनांक 22.06.2006 को जारी किया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा

नियमित बिलों के अतिरिक्त 322 बिल अन्य समानान्तर बिल बुक से जारी किया जाना मानते हुये औसत बिल के आधार पर कुल रू. 28,33,600/– की अन्तर्राज्यीय बिक्री आंकी जाकर इस पर 12.5 प्रतिशत से कर रुपये 354200/– ब्याज रुपये 16884/– तथा इन बिलों का विक्रय रजिस्ट्रर से मिलान नहीं होने पर करावचंन के तहत शास्ति 708400/– आरोपित की गई। इसके अलावा व्यवहारी द्वारा अवधि में नियमित बिल बुकों से जारी बिलों में घोषित कुल अन्तर्राज्यीय बिक्री रुपये 3050350/– पर 12.5 प्रतिशत से कर रुपये 381294/– एवं ब्याज रुपये 18175/– आरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया, जिससे असन्तुष्ट होकर उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसका निस्तारण दिनांक 17.06.2007 को किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है ।

उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2007 के द्वारा प्रकरण संबंधित सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये कि प्रकरण में पुनः जांच कर एवं व्यवहारी को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नियमित बिल बुक के अलावा पकडे गये अन्य बिल बुकों से जारी 77 में से 02 बिल जिनकी कुल बिक्री रुपये 17800/– पर कर ब्याज व शास्ति नियमित बिल बुक से की गई बिक्री पर कर ब्याज आरोपित करते हुये पुनः आदेश पारित करें। साथ ही जहां वसूली नहीं की गई है नोटिफिकेशन दिनांक 21.01.2000 के अनुसार सीएसटी में 6 प्रतिशत कर का आरोपण किया जावें परन्तु जहां 12.5 प्रतिशत कर वसूल किया गया है 12.5 प्रतिशत ही रखा जावें।

उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर के द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2009 के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2011 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद तारीख पेशी की सूचना कोई भी उपस्थित नहीं है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है ।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बिना तथ्यों का विवेचन किये अपास्त किया है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नही है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू.

2,01,383/–, व ब्याज रू. 61,607/– तथा शास्ति रू. 4450/– को अपास्त किया है, जो प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है ।उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की विवेचनेा किये बिना ही यह माना है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया है कि उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2011 का अपास्त करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2011 एवं उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर के आदेश दिनांक 17.06.2007 का अवलोकन किया गया है। उपायुक्त(अपील्स) भरतपुर के आदेश दिनांक 17.06.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें दिये गये निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.3009 में नहीं की गई है, इसलिए अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये हैं कि "सक्षम अधिकी द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को नहीं सुना गया है तथा ना ही करापवंचित बिक्री के सम्बन्ध मं जांच की जाकर यह सुनिश्चित किया गया है अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस करापंवचित बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीनप आदेश दिनांक 04.01.2011 में प्रकरण के तथ्यों का समग्र एवं पूर्ण रूपेण विवेचन करते हुए करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकरी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है और ना उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नजर आता है। उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात कर बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः प्रतिप्रेषण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य